रशीद अहमद

बनाम

नगर पालिका परिषद, कैराना।

भारत संघ और उत्तर प्रदेश राज्य: हस्तक्षेपकर्ता।

[श्री हरिलाल कानिया मुख्य न्यायमूर्ति, सैय्यद फजल अली, पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन मुखर्जी और दास, न्यायमूर्ति]

भारत का संविधान, अनुच्छेद 19 (1), 19 (6), 32- व्यापार जारी रखने का मौलिक अधिकार-लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916, धारा 241(2)(ए)- बिना अनुमति के थोक व्यापार करने पर रोक लगाने वाला नगरपालिका उपविधि - पुराने व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने के प्रावधानों का अभाव - एकाधिकार प्रदान करने की अनुमति देने वाले प्रावधान - उपविधि की वैधानिकता।

नगरपालिका बोर्ड के उपविधि संख्या 2, जो 1 जनवरी, 1950 को लागू हुई, बशर्ते कि "कोई भी व्यक्ति बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना थोक लेनदेन के लिए कोई नया बाजार या स्थान स्थापित नहीं करेगा, और कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थान के अलावा किसी भी स्थान पर किसी भी सब्जी, फल आदि को नहीं बेचेगा या बिक्री के लिए नहीं रखेगा" और-उपनियम संख्या 4 "एक ठेकेदार को बाजार के रूप में निर्धारित स्थान पर थोक लेनदेन करने का एकाधिकार देने की अनुमति देता है। इन उपनियमों की प्रत्याशा में तीन वर्षों के लिए सब्जी में थोक व्यापार करने का एकाधिकार अधिकार नगरपालिका बोर्ड द्वारा नीलाम किया गया और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया गया और बाजार के रूप में एक स्थान भी तय किया गया जहां इस तरह का व्यापार किया जा सकता था। याचिकाकर्ता जो उपनियम लागू होने से पहले दो साल से नगर पालिका के भीतर एक किराए की दुकान पर सब्जियों का थोक व्यापार कर रहा था। अपनी दुकान पर अपना व्यवसाय चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उपनियमों में ऐसे किसी भी लाइसेंस के अनुदान को अधिकृत करने का कोई प्रावधान नहीं था और उन पर उपनियमों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया गया था। उन्होंने एक नागरिक के रूप में अपना व्यवसाय चलाने के अपने मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन किया, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) द्वारा दी गई थी।

माना गया (i) कि लाइसेंस जारी करने को अधिकृत करने वाले प्रावधान के अभाव में उपविधि संख्या 2 में निषेध पूर्ण हो गया, और इसके अलावा, नगरपालिका बोर्ड ने याचिकाकर्ता को एकाधिकार देकर लाइसेंस देने की अपनी शक्ति से बाहर कर दिया था, लगाए गए प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के अर्थ में उचित नहीं थे, और उपनियम तदनुसार शून्य थे और अभियोजन अवैध था, (i) यह तथ्य कि संविधान उपनियमों के लागू होने के बाद ही लागू हुआ था, याचिकाकर्ता के अपने व्यवसाय को जारी रखने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता था।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

यह भी माना गया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 318 के तहत अपील इन परिस्थितियों में पर्याप्त कानूनी उपाय नहीं थी, जिसके अस्तित्व से याचिकाकर्ता इस आवेदन को बनाए रखने से वंचित हो जाएगा।

मूल क्षेत्राधिकार: याचिका संख्या X वर्ष 1950

यह आवेदक के अपने व्यवसाय को जारी रखने के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 (1) के तहत एक आवेदन था, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) द्वारा दी गई थी। फैसले में मामले के तथ्य सामने आते हैं.

याचिकाकर्ता के लिए नूर-उद-दीन।

विपक्षी की ओर से -राधेलाल अग्रवाल।

एम. सी. सीतलवाड, भारत के महान्यायवादी, (एस. एम. सीकरी, उनके साथ), भारत संघ के लिए।

पेरीलाल बनर्जी, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता (श्री राम, उनके साथ), उत्तर प्रदेश राज्य के लिए।

1950 मई 19 अदालत का फैसला डीएएस न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

मैं कोर्ट का फैसला पढ़ रहा हूं।

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रशीद अहमद द्वारा अपने व्यवसाय को जारी रखने के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए बनाया गया एक आवेदन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे प्रतिवादी, कैराना के नगर निगम बोर्ड द्वारा पूरी तरह से रोक दिया गया है। तथ्य शीघ्र ही इस प्रकार हैं:

याचिकाकर्ता एक अरतिया (कमीशन एजेंट) है जो उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले के कैराना में सब्जियों और फलों का थोक व्यापार करता है। वह पिछले दो साल से कैराना कस्बे के बाजार जामा मस्जिद में किराए की दुकान पर यह धंधा कर रहा है। हाल तक नगर पालिका की सीमा के भीतर सब्जियों और फलों की बिक्री को विनियमित करने वाले प्रतिवादी बोर्ड के कोई उपनियम नहीं थे। मार्च, 1949 में, प्रतिवादी बोर्ड ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के तहत बनाये गये कुछ प्रस्तावित उपनियम प्रकाशित किये। ये उपनियम 19 अप्रैल, 1949 को प्रतिवादी बोर्ड द्वारा पारित किए गए थे। आयुक्त द्वारा पुष्टि के बाद ये उपनियम 1 जनवरी 1950 से लागू हो गए। इन नए उपनियमों के प्रभावी होने की प्रत्याशा में प्रतिवादी बोर्ड ने 21 मई 1949 को "सब्जियों के थोक के लिए अनुबंध" की नीलामी की, जिसका अर्थ संभवतः सब्जियों में थोक व्यापार करने का एकाधिकार अधिकार है। यह ठेका हबीब अहमद नामक व्यक्ति को दिया गया था, जो तीन साल के लिए 72,750 रुपये की अग्रिम बोली पर समान त्रैमासिक किश्तों में सबसे अधिक बोली लगाने वाला था। 31 दिसंबर, 1949 को, प्रतिवादी बोर्ड ने सब्जियों और फलों की थोक खरीद और बिक्री के लिए पुलिस पोस्ट इमाम के पास एक जगह को बाजार के रूप में अधिसूचित किया। याचिकाकर्ता ने अपनी दुकान पर थोक अराटिया व्यवसाय चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। 22 दिसंबर, 1949 को या उसके आसपास, प्रतिवादी बोर्ड ने संकल्प संख्या 188 द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया। यह

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

निर्णय याचिकाकर्ता को 9 फरवरी 1950 को सूचित किया गया था। प्रतिवादी बोर्ड के अध्यक्ष का आदेश इन शर्तों में था: "संकल्प संख्या 188 दिनांक 22-12-49 के अनुसार श्री रशीद अहमद का आवेदन खारिज किया जाता है और उन्हें तदनुसार सूचित किया जाए"। याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए प्रतिवादी बोर्ड के प्रस्ताव में कोई कारण नहीं बताया गया। अब हमें प्रतिवादी बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने सूचित किया है कि आवेदन खारिज कर दिया गया था क्योंकि ऐसे आवेदन पर विचार करने या ऐसे लाइसेंस देने के लिए कोई उप-कानून नहीं था जैसा कि प्रार्थना की गई थी। यह तथ्य कि प्रतिवादी बोर्ड ने पहले ही हबीब अहमद को अनुबंध की नीलामी कर दी थी, याचिकाकर्ता को लाइसेंस देने से इनकार करने पर इसका कुछ असर हो सकता है। इस बीच 28 जनवरी 1950 को याचिकाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों में एक नोटिस दिया गया:

''आपको सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद कैराना ने सब्जियों की थोक खरीद-फरोख्त का ठेका 1 जनवरी से दिया है, जो 1950 से लागू है। शहर में बार-बार खाकरोब (सफाई कर्मचारी) के माध्यम से ढोल बजाकर यह प्रचार कराया गया कि सब्जी के ठेकेदार को छोड़कर नगर पालिका परिषद कैराना में कोई भी उपरोक्त नगर निगम बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थान (अर्थात पुलिस पोस्ट इमाम के पास का स्थान) के अलावा किसी अन्य स्थान पर सब्जियों की थोक खरीद और बिक्री नहीं करेगा। इसके विपरीत, आप सबसे पहले जामा मस्जिद के पास के घर में, जिसे काजीवाला के नाम से भी जाना जाता है, थोक में सब्जियां बेचते रहे, बावजूद इसके कि कभी-कभार मौखिक रूप से चेतावनी दी जाती थी कि आप ऐसा न करें, जो बोर्ड के एक कर्मचारी के माध्यम से बताई गई थी। आपके अनुपालन में विफल रहने पर, आपको 3 जनवरी 1950 को लिखित रूप में एक नोटिस द्वारा चेतावनी दी गई थी। वह नोटिस आपको विधिवत तामील करा दिया गया था। लेकिन फिर भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया। तद्नुसार आपके विरुद्ध उपरोक्त उपनियमों के अंतर्गत परगना अधिकारी, तहसील कैराना के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया था। शिकायत अभी भी लंबित है। अब आप जामा मस्जिद बाजार में एक अन्य स्थान पर, जो कि एक चौराहा है, नीलामी द्वारा सब्जी थोक में बेच रहे हैं।

आपका उपरोक्त आचरण गैरकानूनी है और सब्जी अनुबंध से संबंधित नगर निगम बोर्ड के उपनियम 2 का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह ठेकेदार और बोर्ड दोनों के हितों के लिए अत्यधिक हानिकारक है, इसलिए आपको चेतावनी दी जाती है कि आपको यह नोटिस दिए जाने के बाद, आपको ऊपर उल्लिखित उपनियमों के उल्लंघन में कोई और सब्जी बेचना बंद कर देना चाहिए। यहाँ असफल मत हो"।

यह नोटिस इस मायने में कपटपूर्ण है कि इसमें सुझाव दिया गया है कि हर कोई बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थान पर सब्जियों की थोक खरीद और बिक्री कर सकता है। यानी पुलिस पोस्ट इमाम के पास वाली जगह पर तथ्य, जैसा कि अब हमें प्रतिवादी बोर्ड के विद्वान वकील ने बताया है, पूरी तरह से विपरीत है क्योंकि केवल ठेकेदार हबीब अहमद ही उस जगह पर थोक व्यापार कर सकता है। इसलिए, स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता न तो नियत बाजार में या अपनी दुकान पर कोई थोक व्यापार नहीं कर सकता है, जहां उसने स्वीकार किया है कि वह थोक व्यापार कर रहा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

था। उपनियम आने से दो साल पहले संक्षेप में, याचिकाकर्ता का व्यवसाय पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और उस पर उपनियमों के कथित उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। उपरोक्त नोटिस का शीर्षक "सब्जियों के अनुबंध से संबंधित उपनियम 2 के तहत नोटिस" था। उपनियम 2 इस प्रकार चलता है:

"कोई भी व्यक्ति बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना थोक लेनदेन के लिए कोई नया बाजार या स्थान स्थापित नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थान के अलावा किसी भी सब्जी, फल आदि को नहीं बेचेगा या बिक्री के लिए नहीं रखेगा।"

इस उपविधि के दूसरे भाग में स्पष्ट रूप से विचार किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवादी बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थान पर व्यवसाय करने का हकदार होगा, लेकिन ठेकेदार हबीब अहमद के पक्ष में एकाधिकार बनाए जाने के परिणामस्वरूप, कोई भी उस स्थान पर व्यवसाय नहीं कर सकता है, जैसा कि प्रतिवादी बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया है। इस उपविधि के प्रथम भाग के तहत कोई भी व्यक्ति प्रतिवादी बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए बिना थोक लेनदेन के लिए नया बाजार या स्थान स्थापित नहीं कर सकता है। उपनियम के इस भाग में स्पष्ट रूप से विचार किया गया है कि बोर्ड सब्जियों के थोक व्यापार के लिए एक नए बाजार की स्थापना की अनुमति दे सकता है। याचिकाकर्ता ने इस अनुमति के लिए आवेदन किया था लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। उपविधि 2 अभी भी लागू है। यदि इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है तो धारा 241 (2) (ए) के तहत प्रतिवादी बोर्ड ऐसे लाइसेंस से इनकार नहीं कर सकता है, सिवाय इस आधार पर कि वह स्थान जहां बाजार या दुकान स्थापित है, अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्धारित किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है। यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता के आवेदन की अस्वीकृति ऐसे किसी आधार पर नहीं थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी भी लाइसेंस के मुद्दे को अधिकृत करने वाला कोई उप-कानून नहीं था। अनुच्छेद 19 (1) द्वारा संविधान भारतीय नागरिक को उस अनुच्छेद के खंड (6) में उल्लिखित उचित प्रतिबंधों के अधीन व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार की गारंटी देता है। हालाँकि, उप-कानून 2 के तहत स्थिति यह है कि हालांकि यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बोर्ड की अनुमति के बिना सब्जियों के थोक लेनदेन के लिए बाजार स्थापित नहीं करेगा, लेकिन प्रतिवादी बोर्ड को लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत करने वाला कोई उप-कानून नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि लाइसेंस जारी करने के किसी प्रावधान के अभाव में इस उपविधि का निषेध पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा: उपनियम 4 एक ठेकेदार को बाजार के रूप में निर्धारित स्थान पर थोक लेनदेन करने का एकाधिकार देने पर विचार करता है। उस प्रावधान पर कार्रवाई करते हुए, प्रतिवादी बोर्ड ने हबीब अहमद को एकाधिकार प्रदान कर दिया है और याचिकाकर्ता को कैराना की नगरपालिका सीमा के भीतर निर्धारित बाजार स्थान या किसी अन्य स्थान पर सब्जियों का थोक व्यापार करने का लाइसेंस देने की अपनी शक्ति से बाहर कर दिया है। यह निश्चित रूप से याचिकाकर्ता पर उचित प्रतिबंधों से कहीं अधिक है जैसा कि अनुच्छेद 19 के खंड (6) में विचार किया गया है। इस स्थिति में, उपनियम संविधान के अनुच्छेद 13 (1) के तहत शून्य होंगे। दूसरी ओर, यदि याचिकाकर्ता को लाइसेंस लेने

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

की आवश्यकता वाला कोई उपनियम नहीं है, तो प्रतिवादी बोर्ड के लिए याचिकाकर्ता के व्यवसाय को रोकने या उस पर मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

प्रतिवादी बोर्ड के विद्वान वकील ने हल्के ढंग से तर्क दिया कि उपनियम 1 जनवरी 1950 को लागू हुए, यानी संविधान लागू होने से पहले, याचिकाकर्ता को व्यवसाय जारी रखने का कोई अधिकार नहीं था और इसलिए उसका मामला अनुच्छेद 19 (1) (जी) द्वारा शासित नहीं है। इस तर्क में कोई दम नहीं है, अगर यह सही होता, तो अनुच्छेद 19 (1) (जी) केवल उन व्यक्तियों की रक्षा करता जो संविधान लागू होने से पहले व्यवसाय कर रहे थे।

हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित उत्तर प्रदेश के विद्वान महाधिवक्ता ने हमारा ध्यान उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 318 की ओर आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास अपील के माध्यम से पर्याप्त उपाय है, इस न्यायालय को परमादेश या उत्पीड़न के विशेषाधिकार रिट की प्रकृति में कोई भी रिट नहीं देनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्याप्त कानूनी उपाय का अस्तित्व रिट देने के मामले में ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय को दी गई शक्तियां बहुत व्यापक हैं और केवल विशेषाधिकार रिट जारी करने तक ही सीमित नहीं हैं। प्रतिवादी बोर्ड ने स्वीकार किया है कि उसने लाइसेंस देने की अपनी शक्ति से बाहर कर दिया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत करने वाला कोई विशिष्ट उप-कानून नहीं है। हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि धारा 318 के तहत स्थानीय सरकार, जिसने उपनियमों को मंजूरी दी थी, के समक्ष अपील, इस मामले की परिस्थितियों में, एक पर्याप्त कानूनी उपाय है।

हम संतुष्ट हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और वह अपनी शिकायत का निवारण कराने का हकदार है। ऐसी परिस्थितियों में उचित आदेश यह होगा कि प्रतिवादी बोर्ड को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता को कैराना नगर निगम बोर्ड की सीमा के भीतर सब्जियों और फलों के थोक व्यापारी और कमीशन एजेंट के व्यापार पर रोक न लगाए। उपनियमों के अनुसार छोड़कर, जब भी भविष्य में कानून के अनुसार तैयार किया जाएगा और प्रतिवादी नगर निगम बोर्ड को याचिकाकर्ता के लंबित अभियोजन को वापस लेने का निर्देश दिया जाएगा और हम तदनुसार आदेश देंगे। उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता की लागत का भुगतान करना होगा।

याचिका स्वीकृत ।

याचिकाकर्ता के लिए एजेंट: नौनीतलाल।
विरोधी पक्ष के एजेंट : ताराचंद बृजमोहनलाल।
भारत संघ के एजेंट: पी.ए. मेहता।
उत्तर प्रदेश के लिए एजेंट: ताराचंद बृजमोहनलाल।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"